05/02/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.
प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128.
भू. राज. अधि. पर एक पक्षीय बहस सुनी
गई। पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र पर आदेश हेतु
दि. 12/02/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

C/N – 120/2014

12/02/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.
प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.
राज. अधि. का स्वीकार किया जाकर निर्णय
पृथक से पत्रावली में शा.मि. किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 120/2014

1. मुकेश यादव पुत्र रामसहाय यादव
2. सर्वेश्वर यादव पुत्र रामसहाय यादव
3. सत्यनारायण यादव पुत्र रामसहाय यादव
   सर्व निवासीगण आजाद नगर मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरी पत्नी श्रवण लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटन
2. किशन लाल पुत्र भंवर लाल नाबालिग जरिये संरक्षक पिता भंवर लाल पुत्र जग्गा जाति गुर्जर निवासी अवाणा की पाल किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. शिवराज पुत्र भंवर लाल नाबालिग जरिये संरक्षक पिता भंवर लाल पुत्र जग्गा जाति गुर्जर निवासी अवाणा की पाल किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. सुरता देवी पत्नि रघुनाथ जाति चमार निवासी ग्राम चुन्दडी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. मानसिंह पुत्र बल्द बेरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी बडगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. गोपाल पुत्र जगंला जाति जाट निवासी डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. ज्वारा पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 (तर्क)
8. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

दिनांकः 12/02/2024

उपस्थितः डॉ. गणेश प्रजापत — प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u>

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री डॉ. गणेश प्रजापत के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त, खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 214/2 रकबा 17–11–00 किस्म बंजर प्रथम की भूमि ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दरसिन्दरी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तहसील किशनगढ़ स्थित है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है, इसलिये अप्रार्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तथा इनको सूचना दिलवाकर भूमि का प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हल्का पटवारी को बुलवाकर करवा दिया था तथा अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ से अप्रार्थीगण को सन्तुष्ट कर दिया था। इस बात की अप्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी हो चुकी है कि प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर बाधा कारित करने का कोई अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है, किन्तु इसके बाद भी आये दिन प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण द्वारा एतराज व विवाद उत्पन्न किया जाता है। इसलिये प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 7 का नाम दिनांक 04.09.2019 को प्रार्थना पत्र से तर्क किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा जबाव पेश नही करने पर उनका जबाव प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। किन्तु इसके बाद भी आये दिन प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण द्वारा एतराज व विवाद उत्पन्न किया जाता है, इसलिये प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ स्थित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

ख0नं0 214/2 रकबा 17–11–00 किस्म बंजर प्रथम भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 214/2 रकबा 17–11–00 का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम बड़गांव के ख0नं0 214/2 रकबा 17–11–00 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)